# न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़

**(प्रथम अपील अधिकारी अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)**
**पीठासीन अधिकारी : कल्पना अग्रवाल,** आई.ए.एस.

---

**प्र.सं. 09 / 2023**
**जी.सी.एस.एस. नं. : 2023 / 19**

जानी देवी उर्फ जानू बाई पत्नी रामचन्द,नायक निवासी 16 पीटीडी ए तहसील रायसिंहनगर
**–अपीलार्थी**

**बनाम**

उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर
**–प्रत्यर्थी**

**अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम**

**–:: निर्णय ::–**

दिनांक : 17.11.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपील प्रकरण न्यायालय जिला कलक्टर श्रीगंगानगर से हस्तांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की गई। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के आदेश दिनांक 19.11.2022 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया हैं कि आवेदन प्रस्तुत कर जानी देवी उर्फ जानू बाई पत्नी रामचन्द बनाम सरकार व स्टेट मि.नं. 256 / 2007 टी.सी. पुख्ता आवंटन निर्णय व सम्सत पत्रावली दिनांक 08.08.2008 के निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि चाही थी, एक माह बीत जाने के बाद भी उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रमाणित कॉपी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। प्रार्थीया विधवा व वृद्ध महिला के कोर्टो के चक्कर काटने में असमर्थ है बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, अतः प्रमाणित कॉपी के लिए निवेदन किया।

प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के द्वारा प्रेषित टिप्पणी क्रमांक / सूकाअ / 23 / 214 दिनांक 02.11.2023 के द्वारा निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रेषित किया गया हैं कि –

"प्रार्थीया द्वारा रामचन्द्र बनाम सरकार मिसल सं. 256 / 07 टीसी पुख्ता निणय दिनांक 08.08.2008, 08.11.2008 के निर्णय की प्रमाणित प्रति चाही गई थी। प्रार्थीया द्वारा चाही गई सूचना में विशिष्टियां एवं संपूर्ण विवरण अंकित नहीं करने एवं दो अलग–अलग निर्णय दिनांक प्रस्तुत करने के कारण तलाश नहीं की जा सकी इस संबंध में प्रार्थीया को इस कार्यालय के पत्रांक सूकाअ / 22 / 3317 दिनांक 16.12.22 द्वारा सूचना में विशिष्टिया एवं संपूर्ण विवरण उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया था परन्तु प्रार्थीया द्वारा आदिनांक तक सही निर्णय दिनांक उपलब्ध नहीं करवाई गई। सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6(1)(बी) के अनुसार वांछित सूचना में विशिष्टियां अंकित करना अपेक्षित है, जिसके अभाव में सूचना उपलब्ध करवाना संभव नहीं हैं।"

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर [illegible] सूचना चाही गयी :–

**"जानी देवी उर्फ जानू बाई पत्नी रामचन्द बनाम सरकार मि.नं. 256 [illegible] टीसी पुख्ता निर्णय दिनांक 08.08.2008, 08.11.2008 की प्रमाणित प्रति**

उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के द्वारा अपने पत्रांक / सूकाअ / 22 / 3317 दिनांक 16.11.2022 के द्वारा आवेदन को निम्नलिखित सूचना उपलब्ध [illegible]वायी गयी :–

**आप द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर जानी देवी उर्फ जानू देवी पत्नी रामचन्द बनाम सरकार मिसल सं. 256 / 07 टीसी पुख्ता निर्णय दिनांक 08.08.2008, 08.11.2008 के निर्णय की प्रमाणित प्रति चाही गई हैं। कार्यालय रिकार्ड में तलाश करने पर उक्त निर्णय दिनांक से संबंधित पत्रावली**

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpana Agraw
Date: 2024.01.06 14:24:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
अनूपगढ़

**उपलब्ध नहीं हुई हैं। आप द्वारा आवेदन में दो निर्णय दिनांक अंकित की गई हैं। अतः आप सही निर्णय दिनांक से अवगत करावाये ताकि पत्रावली तलाश कर वांछित रिकार्ड आपको उपलब्ध करवाया जा सके।**

अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी के द्वारा सूचना नहीं दिए जाने का के आधार पर अपील प्रस्तुत की गयी हैं। लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक/अपीलार्थी को वांछित सूचना से संबंधित विशिष्टियों की सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। आवेदक से वांछित सूचना से संबंधित विशिटियां अपने आवेदन में अंकित करना अपेक्षित हैं।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में दो निर्णय दिनांक अंकित होने के कारण लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्णय दिनांक से संबंधित पत्रावली उपलब्ध नहीं होने के आधार पर आवेदक को सही निर्णय दिनांक से अवगत कराने हेतु लिखा गया हैं। प्रकरण में आवेदक द्वारा अपने ज्ञान के अनुसार प्रकरण सं. 256/07 जानी देवी उर्फ जानू देवी पत्नी रामचन्द बनाम सरकार टीसी पुख्ता निर्णय दिनांक 08.08.2008, 08.11.2008 की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाने हेतु आवेदन किया गया था। आवेदक द्वारा वांछित सूचना से संबंधित प्र.सं. एवं उनवान अंकित किया गया हैं। आवंटन पत्रावली कार्यालय का महत्वपूर्ण रिकार्ड हैं। लोक सूचना अधिकारी को चाहिए था कि वे आवेदक द्वारा उपलब्ध करवाई गयी सूचना के आधार पर पत्रावली की तलाश कर वांछित सूचना आवेदक को उपलब्ध करवाते। अतः अपील स्वीकार कर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित किया जाना उचित हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार कर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि आवेदक द्वारा पत्रावली के संबंध में उपलब्ध करवाई गयी सूचना के आधार पर पत्रावली की तलाश कर इस निर्णय की प्रति की प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अपीलार्थी/आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 17.11.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पना अग्रवाल)
I.A.S
जिला कलक्टर
अनूपगढ़

जिला कलक्टर
अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpana Agrawal
Date: 2024.01.06 14:24:40 IST
Reason: SelfAttested